PBR/अपील/खण्डवा/भू-2/2017/2255 17

न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय खण्डवा जिला खण्डवा

राजस्व अपील :-

प्रस्तुत दिनांक :-

1. जीवनसिंह पिता रूपसिंह आयु 60 वर्ष
2. जितेन्द्रसिंह पिता जीवनसिंह आयु 30 वर्ष
3. संजयसिंह पिता जीवनसिंह आयु 25 वर्ष

तीनो निवासी ग्राम काल्दाखेडी तह.एवं जिला खंडवा

.....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1. अर्जुनसिंह पिता गजराजसिंह राजपूत आयु 40 वर्ष

निवासी ग्राम काल्दाखेडी तह.एवं जिला खंडवा

---प्रतिअपीलार्थी

पुनरीक्षण अपील धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता।

अपीलार्थीगण का निम्मलिखित निवेदन है :-

अपीलार्थीगण ने यह अपील विद्ववान निम्न न्यायालय तहसीलदार महोदय छैगांव माखन द्वारा ग्राम काल्दाखेडी तहसील खण्डवा के राजस्व प्रकरण कमांक 8अ/70 16-17 मे पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 से असंतुष्ट, दुखित एवं पीडित होकर प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा असत्य एवं झूठे आधारो पर भू राजस्व संहिता अंतर्गत धारा 250 के तहत प्रकरण अपीलार्थीगण के विरूद्ध ग्राम काल्दाखेडी के खसरा नं. 263 रकबा 0.07 हे. भूमि पर से अपीलार्थीगण का वैध कब्जा हटाये जाने बाबद् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पत्र को माननीय तहसीलदार महोदय वृत्त छैगांव माखन द्वारा गुण दोषो पर निराकृत किए बिना ही अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 08.06.17 को आदेश पारित कर दिए है उक्त आदेश से असंतुष्ट एवं पीड़ित होकर निम्न आधारो पर यह अपील प्रस्तुत है।

निरं.....02

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक अध्यक्ष / निगरानी / भू.रा. / 2017 / 2255/खण्डवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-8-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार छैगांव माखन जिला खण्डवा के प्रकरण कमांक 8 / अ–70 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 08.06.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। लेकिन भूलवश दायरा क्लर्क द्वारा अपील में दर्ज कर दी गई है। प्रकरण का निराकरण धारा–50 के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रकरण के साथ स्थगन संबंधी आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। 2–प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक द्वारा ग्राम काल्दाखेडी के खसरा न0 263 रकबा 0.07 है0 भूमि पर से आवेदक का वैध कब्जा हटाये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया थ । उक्त आवेदन पत्र को नायब तहसीलदार वृत्त छेंगाव माखन द्वारा बिना आवेदक के सुने कब्जा हटाये जाने का आदेश दिनांक 8.6.17 पारित किया है इससे परिवेदति होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ताा के तर्क सुने तर्को में उन्हें तथ्यों को दौहाराया गया हे जोउनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन करने पर पाया गया कि ग्राम काल्दाखेडी के खसरा न0 263 रकबा 0.07 है0 भूमि अनावेदक द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र सेकय की गई है और कय दिनांक से ही उसका	

प्रकरण कमांक अध्यक्ष/निगरानी/भू.रा./2017/2255

कब्जा है लेकिन आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया है । हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन में बताया गया है कि ग्राम काल्दाखेडी के खसरा न0 263 रकबा 0.07 है0 राजस्व अभिलेखों में अनावेदक अजुर्नसिंह पिता गजराजसिंह के नाम पर दर्ज है । उक्त भूमि पर आवेदक जीवन सिंह का लगभग दो वर्षो से कब्जा है। हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर एवं साक्षियों के गवाहो के अनुसार नायब तहसीलदार छैगांव माखन जिला खण्डवा के प्रकरण कमांक 8/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 08.06.17 में आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य